न्यायालय अपील अधिकरण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील प्रकरण सं. : 04/2019

अपीलार्थीपक्ष	बनाम	प्रत्यर्थीपक्ष
नन्दलाल पुत्र बलदेवराम जाति ब्राह्मण निवासी रसाला रोड़, जोधपुर।		1–कान्तिलाल पुत्र नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासी रसाला रोड़, पावटा जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16,माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.08.2019 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर सुमित्रा पारीक द्वारा प्रकरण संख्या 92/2019 नन्दलाल बनाम कान्तिलाल आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए, खारिज किया गया।

उपस्थिति :–
1– अपीलार्थी नन्दलाल अजखुद उपस्थित।
2– प्रत्यर्थीपक्ष इत्तला बावजुद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 03.02.2020

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पेश करते हुए प्रार्थी को समुचित भरण पोषण एवं स्वअर्जित आय से कय किया गया आवास में स्थित दूकान प्रत्यर्थी/अप्रार्थी से खाली कराकर कब्जा लौटाने का प्रार्थना की गई जिस पर उपखण्ड अधिकरण जोधपुर ने सुनवाई करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.08.1209 को जारी करते हुए प्रार्थीपक्ष को भरण पोषण के रूप में मात्र 3000/– 3000/–रूपये अप्रार्थीगण कान्तिलाल व चिंरजीलाल से दिलाये जाने का आदेश दिया गया तथा दूकान खाली कराये जाने का आदेश नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया एवं

लगातार.. .2

अधीनस्थ अधिकरण कार्यालय से मूल रिकॉर्ड भी तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष तारीख पेशी दिनांक 23.12.2019 को अजखुद उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब पेश किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से जबाब पेश होने के पश्चात् दिनांक 06.01.20, 15.01.20, 28.01.20 एवं आज दिनांक 03.02.2020 को मुकर्र पेशी पर प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित रहा। अपीलार्थीपक्ष द्वारा दिनांक 03.02.20 को उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा अपीलार्थी को मौखिक भी सुना गया।

रेस्पोपक्ष की ओर से प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब में बतलाया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील मात्र उसी स्थिति में पोषणीय है, जब अधिकरण द्वारा आदेशित किए गए भरण पोषण की राशि न्यून पाई जावे। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश में राशि की न्यूनता के संबंध मे कोई आक्षेप अपीलांट के द्वारा नहीं लिया गया है और मात्र सम्पति से बंदखल किए जाने के आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है व सम्पति के अधिकारों का विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार इस अधिनियम के तहत अधिकरण को नहीं है और इस प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं माने जाने का आदेश दिया जाना पूर्णता विधिपूर्ण है इस अपीलांट द्वारा दायर यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। आगे यह भी कहा कि प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया वो पोषणीय नहीं है। रेस्पो.पक्ष को प्राप्त नोटिस में धारा 5 का उल्लेख है और धारा 23 व 24 में अपीलांट की किसी सम्पति को कोई नुकशान कारित नहीं किया हुआ है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी तरह किसी सम्पति का कोई अंतरण रेस्पो.पक्ष में अपीलांट के द्वारा नहीं किया गया है अतः उस अन्तरण को शून्य घोषित करने वाली कोई परिस्थितियां प्रकरण में मौजूद नहीं है।

जबाब में आगे यह भी कहा कि अपीलांट के पास नीचे की मंजिल में 8 कमरे व 6 दूकानें है और इनमे से 6 कमरे व तीन दुकाने किराये पर है इनकी मासिक तौर से पंचास साठ हजार रूपये किराये की आमदनी अपीलांट/प्रार्थी को प्राप्त हो रही है। रेस्पो.पक्ष के टेलरिंग की कोई शोरूम जैसी कोई दुकान नहीं है और रेस्पो.पक्ष को बड़ी मुश्किल से 10–12 रूपये की आमदनी होती है तथा यह आमदनी भी रसाला रोड़ पूल के निर्माण के बाद नियमित रूप से नहीं रही है। जायदाद का विवरण अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा दिया गया है, वो जायदाद अपीलांट/प्रार्थी के द्वारा गांव की बडेरों की जायदाद को बेचकर खरीदी हुई है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जायदाद अपीलांट/प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा हो और स्वअर्जित हो। रेस्पो. की सम्पति में यह जायदाद पुश्तैनी होने से रेस्पो.पक्ष को रहने व बंट का पूरा हिस्सा है। अपीलांट/प्रार्थी ने वादग्रस्त जायदाद का बेचाननामा प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपनी वृद्धावस्था का गलत फायदा उठाना चाहता है और इस अपीलीय अधिकरण को मुगालते में रखकर जिस सम्पति से अपीलांट/प्रार्थी गलत तौर से बेदखल करवाना चाहते है, उस सम्पति से हटकर पड़ौस की सम्पति के बेचाननामा को प्रस्तुत किया है। जबाब में यह भी कहा कि रेस्पो. ने कभी कोई झगड़ा नहीं किया है। इसके विपरीत अपीलांट/प्रार्थी, रेस्पो. के भाई चिंरजीलाल

लगातार...

के बहकावे में आकर रेस्पो. के साथ दुर्व्यवहार करते है तथा येन प्रकेरण रेस्पो. पक्ष को सम्पति में वंचित कर बेदखल कराना चाहते है। अन्त में अपील सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी ने लिखित बहस में बतलाया कि रेस्पो.पक्ष द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर जबाब पेश किया गया। जबाब में वे तथ्य अंकित किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में अंकित नहीं थे। जबाब में आगे कहा कि कान्तिलाल एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 02.01.2020 को कान्तिलाल व उसका पुत्र करण, पत्नी प्रेमलता ने मिलकर लोहे के सरिये, लाठियों से दिन दहाड़े दुकान से निकाल कर रोड़ पर मारपीट की तथा प्रार्थी का पुत्र चिंरजीलाल के दोनों पांव लोहे के सरिये से मारकर तोड़ दिये जो दिनांक 02.01.2020 से आज दिन तक मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती है। पुलिस थाना महामंदिर में मुकदमा भी दर्ज करवाया अतः अपीलांट का पुत्र कान्तिलाल उसकी जायदाद मे रहवास के लायक ही नहीं है और प्रार्थी के जीवन को पूर्णरूप से जान का खतरा बना हुआ है एवं ऐसे पुत्र को तुरन्त प्रभाव से दुकान से खाली कर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है।

बहस में आगे कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त जायदाद अपीलांट के मालिकाना स्वामित्व की है जिसका लाईसेंस कॉमर्शियल संख्या 149 नगर सुधार न्यास द्वारा जारी किया गया जो पृथ्वीपुरा रसाला रोड़ में भूखण्ड संख्या(दूकान संख्या–3, ब्लॉक–ए) के नाम से स्थित है और यही दूकान वादग्रस्त है जिसमें प्रथम मंजिल पर रेस्पो. नाजायज रूप से काबिज है, हॉल पर रेस्पो. का कोई कब्जा नहीं है, अपीलांट का ही कब्जा है। रेस्पो.पक्ष का यह तथ्य पूर्ण रूप से गलत लिखा है कि सम्पति के अधिकारों का विनिश्चय करने का क्षेत्राधिकार इस अधिनियम के तहत अधिकरण को नहीं दिया गया है, वास्तव में धारा 4 में स्पष्ट रूप से अधिकरण को बेदखली का अधिकार दिया गया है और प्रस्तुत प्रकरण में जिस जायदाद में काबिज है वह जायदाद अपीलांट की खरीदसुदा जायदाद है वह संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति नहीं है व अपीलांट के नाम का है जिसका स्वामित्व निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहस में यह भी बतलाया कि इस न्यायालय को व अधीनस्थ न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि अगर किसी वृद्ध व्यक्ति की भूमि पर उसकी सन्तान नाजायज काबिज है है तो उसे बेदखल करने का वृद्ध माता पिता को अधिकार है और विचारण न्यायालय ने मात्र तकनीकि आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रार्थी को इस तथ्य के बाबत् अवगत नहीं करवाया गया है कि वह अपने स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करें। बहस के अन्त में कहा कि अपीलांट ने चारों पुत्रों को अलग अलग सम्पतियां वसीयत कर कब्जा दे दिया है व सब अपने अपने हिस्से पर काबिज है व अपीलांट के पास किसी प्रकार की आय का साधन नहीं है और रेस्पो. गलत रूप से अपीलांट को तंग व परेशान कर उसकी जायदाद हड़प करने की बदनीयती से तंग व परेशान कर रहा है, इतना ही नहीं रेस्पो. अपीलांट को खुल्लम खुला जान से मारने व जेल भिजवाने व अपीलांट के पोते को अपहरण कर खत्म करने की खुल्लम खुला धमकी देता है। बहस के समर्थन में 2016(1) सिविल कोर्ट केसेज पेज–529,

लगातार... 4

2017(2) आर.सी.आर. पेज–738, 2016(3) आर.सी.आर(क्रिमीनल)पेज–497, 2016(1) आर.सी.आर.(सिविल) पेज–324, 2016(3) सिविल कोर्ट केसेज पेज–666, 2017(2) ए.आइ.आर. बाम्बे आर.(क्रिमी) पेज–869, 2019(2) सिविल कोर्ट केसेज पेज–373, 2019(3) सिविल कोर्ट केसेज पेज–425 (देहली) पर दिये गये न्याय निर्णयों की ओर ध्यान आकृषित करते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपील के संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि विवादित जायदाद अपीलार्थी/प्रार्थी नंदलाल के पक्ष में बेचान रजिस्टर्ड है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 2016(1) सिविल कोर्ट केसेज पेज–529, 2017(2) आर.सी.आर. पेज–738, 2016(3) आर.सी.आर(क्रिमीनल)पेज–497, 2016(1) आर.सी.आर.(सिविल) पेज–324, 2016(3) सिविल कोर्ट केसेज पेज–666, न्याय निर्णयों में माननीय पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक की सम्पति की सुरक्षा को लेकर भरण पोषण अधिकरण एवं अपील अधिकरण द्वारा अभिभावक की सम्पति से पुत्रों को बेदखली करने के आदेश को सही एवं उचित है। इसी प्रकार माननीय बोम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2017(2) ए.आइ.आर. बाम्बे आर.(क्रिमी) पेज–869 पर दिये गये न्याय निर्णय में भी भरण पोषण अधिकरण द्वारा अभिभावकों को भरण पोषण की राशि देने एवं उनकी सम्पति से पुत्रों को बेदखली करने के आदेश दिये एवं उसकी पुष्टि अपील अधिकरण द्वारा करने को सही माना गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2019(2) सिविल कोर्ट केसेज पेज–373 पर अभिनिर्धारित किया गया कि माता द्वारा अपनी सम्पति से कब्जा खाली कराने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों में भरण पोषण अधिकरण द्वारा खाली करने के आदेश को सही माना गया है। 2019(3) सिविल कोर्ट केसेज पेज–425 (देहली) पर माननीय देहली उच्च न्यायालय(डीबी) ने अभिनिर्धारित किया कि (iii) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007, S.27- Bar of civil court jurisdiction- A senior citizen cannot knock the door of civil court to fight a legal battle to obtain possession of property, as jurisdiction of Civil Court is barred u/s 27 of the Act. (para 61)

प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा अपने पिता के भरण पोषण के लिए आवश्यक मूल सुख–सुविधा एवं मूल भौतिक आवश्यकताएं प्रदान नहीं करने के उपरान्त भी अपीलार्थी(पिता) की स्वअर्जित आय से खरीद की गई सम्पति पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है तथा अपीलार्थी/प्रार्थी को तंग व परेशान करता है अतः उपरोक्त न्याय निर्णयों इस प्रकरण में ग्राह्य योग्य है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थीपक्ष को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी की पृथ्वीपुरा रसाला रोड़, जोधपुर स्थित जायदाद में प्रथम मंजिल पर बनी दूकान पर किये कब्जा को 15 दिवस में खाली कर दे।

लगातार... 5

12

अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पुत्रगण कांतिलाल (रेस्पो.) व चिंरजीलाल को 3000/–, 3000/– रूपये भरण पोषण देने के आदेश दिये गये, उसकी पालना नहीं हुई है जो गंभीर मामला है अतः अधीनस्थ अधिकरण के आदेशित किया जाता है कि उनके दिनांक 14.08.19 के द्वारा अपीलार्थी को उनके पुत्रों कांतिलाल एवं चिंरजीलाल से 3000–3000 हजार रूपये भरण पोषण के रूप में देने के आदेश दिया गया उसकी वसूली एवं प्रत्यर्थी/अप्रार्थी कांतिलाल द्वारा 15 दिवस में अपीलार्थी की जायदाद में बनी दूकान खाली नहीं करने पर पुलिस ईमदाद से खाली कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। अपीलार्थी 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है उन्हें प्रत्यर्थीगण द्वारा किसी प्रकार से मारपीट व लड़ाई झगड़ा न करने तथा उनके स्वामित्व वाले उक्त मकान में रहने की किसी प्रकार की बाधा नहीं करने बाबत् प्रत्यर्थी/अप्रार्थी को पाबन्द किया जा चुका है तथा थानाधिकारी महामंदिर को संरक्षण अधिकारी नियुक्त भी किया है। अतः थानाधिकारी महामंदिर, जोधपुर महानगर को निर्देशित किया जाता है कि वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ अपीलार्थी (वरिष्ठ नागरिक) से भेंट करते रहे एवं उनकी परिवादों/समस्याओं पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही भी करे। उपरोक्तानुसार अपील का निर्णय किया जाता है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण तथा थानाधिकारी महामंदिर, पुलिस कमीशनरेट जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे। आदेश सुनाया गया।